उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3
संख्या–2403/2025–8–3099/153/2024
लखनऊ: दिनॉक: 23 दिसम्बर, 2025

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2024 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–6 सन् 2024) की धारा–3 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करते हैं कि नीचे अनुसूची में यथा उल्लिखित वाराणसी और उसके आस–पास के क्षेत्रों को "काशी–विंध्य क्षेत्र" कहा जायेगा।

अनुसूची

क्रम संख्या	जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)
1	वाराणसी	1,535.00
2	जौनपुर	4,038.00
3	चन्दौली	2,541.00
4	गाजीपुर	3,377.00
5	मिर्जापुर	4,505.00
6	भदोही	1,015.00
7	सोनभद्र	6,905.00
कुल		**23,916.00**

2– पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल अग्रतर पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए उपर्युक्त "काशी–विंध्य क्षेत्र" के संबंध में एक प्राधिकरण का गठन करते हैं, जिसे "काशी–विंध्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण" कहा जाएगा, जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट होंगे, :–

(क)	माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
(ख)	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	उपाध्यक्ष
(ग)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	सदस्य और संयोजक
(घ)	वित्त, न्याय, राजस्व, नियोजन, नगर विकास, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, नमामि गंगे, लोक निर्माण विभाग, पर्यटन, वन, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, सिंचाई और परिवहन विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पदेन	सदस्य
(ङ)	मंडलायुक्त, वाराणसी एवं मिर्जापुर	सदस्य
(च)	जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही एवं सोनभद्र	सदस्य
(छ)	उपाध्यक्ष, वाराणसी एवं मिर्जापुर–विन्ध्यांचल विकास प्राधिकरण	सदस्य
(ज)	मुख्य नगर और ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, पदेन	सदस्य
(झ)	सरकार द्वारा नियुक्त, अनधिक पॉच ऐसे विशेषज्ञ	सदस्य

	व्यक्तियों की संख्या जो सरकार की राय में शहरी और क्षेत्रीय विकास, अभियंत्रण, परिवहन, उद्योग और पर्यावरण से संबंधित मामलों का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखता हो	
(ञ)	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन या किसी अन्य अभिवहन प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक या उनके प्रतिनिधि, चाहे वे किसी भी नाम से जाने जायें	सदस्य
(ट)	भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट रेलवे और रक्षा के प्रतिनिधि	सदस्य
(ठ)	सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी सरकार के प्रमुख सचिव से अनिम्न रैंक का होगा, जब तक सरकार द्वारा अन्यथा नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है, तब तक आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मुख्य कार्यपालक अधिकारी होंगे	सदस्य
(ड)	क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का सदस्य–सचिव	मण्डलायुक्त, वाराणसी

3– "काशी–विंध्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण" का मुख्यालय वाराणसी में होगा।

आज्ञा से,
पी० गुरूप्रसाद
प्रमुख सचिव

<u>संख्या–2403(1)/2025–8–3099/153/2024–तद्‌दिनांक</u>

प्रतिलिपिः– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 23.12.2025 के असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–ख में प्रकाशित कराते हुए 5–5 प्रति सम्बन्धित विभागों तथा 100 प्रतियां आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
राजेश कुमार राय
विशेष सचिव

संख्या–2403(2)/2025–8–3099/153/2024–तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
7. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद।
9. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
10. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ।

12. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
14. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
15. समस्त जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
16. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
17. सचिव, उत्तर प्रदेश भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ।
18. रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश भू–सम्पदा अपीलीय अधिकरण, लखनऊ।
19. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
20. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
21. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि आदेश की प्रति आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
22. समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
23. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरीश चन्द्र मिश्र)
संयुक्त सचिव